झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची – 834001

विज्ञापन

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि–05.08.2022	विज्ञापन संख्या–13/2022

निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड नियुक्ति परीक्षा

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–749 दिनांक–02.06.2021 तथा पत्रांक–1331 दिनांक–01.06.2022 के आलोक में निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड (गैर सम्वर्गीय) के एकल पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हताधारी नागरिकों (भारत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवा में कार्यरत पदाधिकारी) से विहित प्रपत्र में पुनः एक बार आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

1. **पद का नाम– निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड**

2. **पदावधि** – सामान्यतः 05 (पाँच) वर्ष।

3. **वेतनमान** – PB-III- 15,600-39,100 Grade Pay – 7,600 (Level-12)

4. **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हत्ता :–**

   भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक अथवा कृषि अभियंत्रण (Agriculture Engineering) में स्नातक डिग्रीधारी हो।

   (क) **पूर्व अनुभव** :– अभ्यर्थी को भारत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की सेवा में पुनरीक्षित वेतन संरचना के अनुसार PB - III रू0–15,600- 39,100 ग्रेड वेतन रू0–6600/–(Level-11) में कम से कम तीन वर्षों के अनुभव सहित कुल दस वर्षों का कार्यानुभव प्राप्त किया हो।

   (ख) **प्रशिक्षण और विशेषज्ञता** :– अभ्यर्थी को ICAR अथवा राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्धारित न्यूनतम 5 ½ माह का भूमि संरक्षण से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया होना आवश्यक होगा।

   (ग) नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी अपनी बायोडाटा में स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 विशेषज्ञताओं (यदि हो तो) का ब्योरा देंगे, जिसे नियुक्ति के लिए चयन करते समय आयोग द्वारा अधिमानता दी जायगी।

5. **उम्र सीमा की संदर्भ तिथि :–01.08.2021**

   न्यूनतम उम्र सीमा – 45 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा–55 वर्ष।

6. **नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :—**

(i) चयन झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्तर्वीक्षा के आधार पर की जाएगी।

(ii) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवा में कार्यरत पदाधिकारी ही उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अर्हत्ता के योग्य होगें। आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में अभ्यर्थी अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन—पत्र आयोग को अग्रसारित करायेगें। नियंत्री पदाधिकारी अभ्यर्थी के विगत 5 वर्षों के कार्यकलाप संतोषप्रद होने के संबंध में अपने अभ्युक्ति के साथ आवेदन—पत्र को अग्रसारित करेंगे।

(iii) अन्तर्वीक्षा में अंको का निर्धारण झारखण्ड लोक सेवा आयोग के Rules of Procedure, 2002 में निहित प्रावधान के अनुरूप किया जाएगा, जिसमें स्नातकोत्तर डिग्री के लिए 10 अंक एवं पी0एच0डी डिग्री के लिए अतिरिक्त 10 अंक की अधिमानता दी जाएगी।

(iv) तद्नुरूप अन्तर्वीक्षा एवं विभिन्न शैक्षणिक योग्यता हेतु कुल 100 अंकों का विभाजन निम्नवत् होगा :—

मैट्रिक	—	10 अंक
इन्टरमीडिएट	—	15 अंक
स्नातक	—	35 अंक
स्नातकोत्तर	—	10 अंक
पी0एच0डी0	—	10 अंक
अन्तर्वीक्षा	—	20 अंक
कुल	—	**100 अंक**

7. **<u>परीक्षा शुल्क</u>:—** परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(i) अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—II) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू0—**600 (छः सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है।

(ii) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0—**150/—(एक सौ पचास) + बैंक चार्ज** मात्र है। इस रियायती (concessionary) दर पर परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा अद्यतन जाति प्रमाण पत्र की प्रति भरा हुए आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।

(iii) झारखण्ड राज्य के निःशक्त अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में पूर्ण छूट है। इसके लिए झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत अद्यतन निःशक्तता प्रमाण पत्र की प्रति भरा हुआ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

(iv) बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र (उपर्युक्त कंडिका–III में वर्णित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र को छोड़) स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

नोट :– अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जायेगा।

8. **आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश** :–

(1) अभ्यर्थी के द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(2) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित पठनीय प्रति यथाः–

(i) मैट्रिक प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।

(ii) इंटरमीडिएट प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।

(iii) विज्ञापित पद से संबंधित शैक्षणिक अर्हत्ता (कृषि विज्ञान में स्नातक/कृषि अभियंत्रण में स्नातक) संबंधी प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।

(iv) स्नातकोत्तर प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र (यदि हो)की छायाप्रति।

(v) पी0एच0डी0 (यदि हो) संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

(vi) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की सेवा में पुनरीक्षित वेतन संरचना के अनुसार PB - III 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0–6600/–(Level-II) में कम से कम तीन वर्षों के अनुभव सहित कुल दस वर्षों का सक्षम स्तर से निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

(vii) ICAR अथवा राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्धारित न्यूनतम 5 ½ माह का भूमि संरक्षण से संबंधित प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।

आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

(3) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हत्ता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।

(4) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।

(5) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।

(6) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्त्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक–पत्र में अंकित है।

(7) जन्म तिथि–आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर भरें।

(8) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(9) आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(10) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है। इस बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(11) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में यदि कोई गलत सूचना या तथ्य अंकित करने/छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(12) कदाचार (Misconduct) के निम्न मामलों में अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise temper with any entry in a document otherwise temper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

(a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or

(b) Impersonating, or

(c) Procuring impersonation by any person, or

(d) Submitting fabricated documents or documents which have been tempered with, of

(e) Making statements which are incorrect of false or suppressing material information, or

(f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or

(g) Using unfair means during the test, or

(h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch in the script (s), or

(i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or

(k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.

(l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/ herself liable to criminal prosecution be liable:

(i) To be disqualified from selection for which he/she is a candidate, and/or

(ii) To be debarred either permanently or for a specified period:-

(iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

9. अंतिम तिथि–

(क) पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र सभी वांछित प्रमाण पत्रों/अभिलेखों सहित बंद लिफाफे में जिसके ऊपर विज्ञापन संख्या एवं पद का नाम अंकित हो केवल स्पीड–पोस्ट/निबंधित डाक या हाथों हाथ (कार्यावधि में) आयोग कार्यालय (पता– परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची–834001) में प्राप्ति की **अंतिम तिथि–05.08.2022** होगी।

(ख) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग किसी भी रूप में जिम्मेवार नहीं होगा।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।